

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज खेमसिंह जोधा बनाम लो.सूअ. (उपखण्ड अधिकारी लूणी) सूअ.अ. अपील संख्या 50/2020	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.06..20	<p>दिनांक 23.03.2020 से दिनांक 31.05.20 तक लोकडाउन घोषित होने से पत्रावली आज पेशी पर ली गई। संक्षिप्त में अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी खेमसिंह जोधा, पता ग्राम पोस्ट शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 30.12.2019 में उसके द्वारा (1) उपखण्ड अधिकारी लूणी के कार्यालय में माह सितम्बर 2019 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत कुल प्रस्तुत आवेदनों की नियमानुसार प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.(उपखण्ड अधिकारी लूणी) से आज दिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	